भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3658
दिनांक 17.12.2024 को उत्तरार्थ

पंचायतों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना

3658. श्री हरीश चंद्र मीनाः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों, जिलों, कस्बों और तहसीलों को विकसित करने की दृष्टि से सरकार द्वारा पंचायतों को प्रदान की जाने वाली बुनियादी सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान हासिल की गई उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राजस्थान के टोंक-सवाई माधोपुर जिले के साथ-साथ देश भर के गांवों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से पंचायतों को प्रदान की गई बुनियादी सुविधाओं का मूल्यांकन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रोफ. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) पंचायत, "स्थानीय स्वशासन" होने के फलस्वरूप, राज्य का विषय है और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची का हिस्सा है। भारत के संविधान के भाग IX में अनुच्छेद 243 द्वारा पंचायतों की स्थापना का अधिदेश प्रदान किया गया है। तदनुसार, पंचायतों की स्थापनाऔर संचालन संबंधित राज्य पंचायती राज अधिनियमों के माध्यम से किया जाता है। पंचायतों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्यों का दायित्व है। केंद्रीय वित्त आयोग राज्य सरकार के माध्यम से 'स्थानीय निकायों' को उनके संसाधन बढ़ाने के लिए धनराशि प्रदान करता है।

चौदहवें वित्त आयोग अवार्ड के तहत, जलापूर्ति, सेप्टिकप्रबंधन सहित स्वच्छता, सीवरेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, तूफान जल निकासी, सामुदायिक परिसंपत्तियों का रखरखाव, सड़कों, फुटपाथों और स्ट्रीट-लाइटिंग, और दफन और श्मशान घाटों का रखरखाव, और सौंपे गए कार्यों के भीतर कोई अन्य बुनियादी सेवा सहित प्रासंगिक कानूनों के तहत उन्हें बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए अवॉर्ड अवधि वर्ष 2015-16 से 2019-20 के लिए राजस्थान सहित 26 राज्यों में संविधान के भाग IX के तहत गठित ग्राम पंचायतों को

2,00,292.20 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। चौदहवें वित्त आयोग अवार्ड के तहत प्रदान किए गए अनुदान का उपयोग ग्राम पंचायतों द्वारा बुनियादी सेवाएं प्रदान करने के लिए किया गया था।

इसके अलावा, वर्तमान में पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा 28 राज्यों में सभी तीन स्तरों की पंचायतों और पारंपरिक निकायों में ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान प्रदान किया जाता है। पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान के दो घटक हैं; अर्थात्, मूल (अनटाइड) अनुदान और टाइड अनुदान। मूल (अनटाइड) अनुदान का उपयोग वेतन और अन्य स्थापना लागतों को छोड़कर, भारत के संविधान की 'ग्यारहवीं अनुसूची' में निहित 29 विषयों के तहत बुनियादी सुविधाओं की जरूरतों के लिए किया जा सकता है। निर्धारित अनुदान का उपयोग बुनियादी सुविधाओं, विशेष रूप से पेयजल और स्वच्छता के लिए किया जाना है।

इसके अलावा, 2022-23 से 2025-2026 तक कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के तहत, मंत्रालय पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए राजस्थान सहित सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के प्रयासों को बढ़ावा देता है, ताकि ग्राम पंचायतों को पंचायत भवन और कंप्यूटर एवं बाह्य उपकरण प्रदान करके ग्राम पंचायतों के कामकाज में सहायता की जा सके।

(ख) पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पंचायतों और ग्रामीण स्थानीय निकायों को चौदहवें और पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान का राज्य-वार आवंटन और जारी राशि का विवरण**अनुबंध**में दिया गया है।

(ग) से (घ) देश भर मेंपंचायती राज संस्थाओंके कामकाज को मजबूत करनेऔर राजस्थान के टोंक-सवाई माधोपुर जिले सहित राज्यवार ग्राम पंचायतों में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं का आवधिक मूल्यांकन राज्य के द्वारा करनेके लिए, मंत्रालय ने एक उपयोगकर्ता के अनुकूल वेब-आधारित पोर्टल ई-ग्रामस्वराज (https://egramswaraj.gov.in) लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य विकेंद्रीकृत योजना, प्रगति रिपोर्टिंग, वित्तीय प्रबंधन, कार्य-आधारित लेखांकन और सृजित संपत्ति के विवरण में बेहतर पारदर्शिता लाना है।

इसके अलावा, पंचायत खातों यानी ग्राम पंचायतों की प्राप्तियों और व्ययों का समय पर ऑडिट सुनिश्चित करने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय ने एक ऑनलाइन एप्लिकेशन ऑडिटऑनलाइन (https://auditonline.gov.in) शुरू किया है। यह एप्लिकेशन न केवल पंचायत खातों की ऑडिटिंग की सुविधा प्रदान करता है, बल्कि लेखापरीक्षा रिकॉर्ड बनाए रखने की सुविधा भी प्रदान करता है। यह एप्लिकेशन ऑडिट पूछताछ, ड्राफ्ट स्थानीय ऑडिट रिपोर्ट, ड्राफ्ट ऑडिट पैरा आदि के लिए प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है और इस प्रकार पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार के लिए पंचायतों द्वारा खातों का उचित रखरखाव सुनिश्चित करता है।

(ङ) मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2022-23 से राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की पुनर्नवीनीकरणकेंद्र प्रायोजित योजना को लागू कर रहा है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाना है, जिसके तहत सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों, कर्मचारियों और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यह प्रशिक्षण उनके नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने के लिए है, ताकि ग्राम पंचायतें प्रभावी रूप से कार्य कर सकेंऔर सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को जमीनी स्तर पर स्थानीयकरण के माध्यम से प्राप्त कर सकें।आरजीएसए के तहत पंचायत शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने और जमीनी स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को स्थानीयकरण करने और सरकार द्वारा की गई विभिन्न ई-गवर्नेंस पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पंचायतों की क्षमता का निर्माण करने के लिए भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।प्रशिक्षण के अलावा, आरजीएसए के तहत, मंत्रालय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों मुख्य रूप से पूर्वोत्तर, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों के

लिए सीमित पैमाने पर ग्राम पंचायत भवन, कंप्यूटर और ग्राम पंचायत भवन में कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) की सह-स्थापना जैसे पंचायत बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए सहायता प्रदान करता है।

मंत्रालय ने पंचायती शासन को सुदृढ़ करने के लिए प्रमुख डिजिटल पहलें विकसित की हैं: योजना और लेखांकन को सुव्यवस्थित करने के लिए ईग्रामस्वराज, जो वास्तविक समय भुगतान के लिए पीएफएमएस से एकीकृत है; लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए ऑडिट ऑनलाइन; और मेरी पंचायत एप्लिकेशन जो विकास योजनाओं, वित्त, निर्वाचित प्रतिनिधियों और प्रस्तावों सहित पंचायत कार्यप्रणाली के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करता है।पंचायत निर्णय एप्लिकेशन को भी विकसित किया गया है, जो कि ग्राम सभा बैठकों को शेड्यूल करने, नागरिकों को सूचित करने, एजेंडा प्रसारित करने, पंचायत निर्णयों को रिकॉर्ड करने आदि के लिए है, ताकि ग्राम पंचायत में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा मिल सके।

*****

अनुबंध

पंचायतों को बुनियादी सुविधाओं के संबंध में दिनांक 17/12/2024 को उत्तरार्थ लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 3658के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्यों को पंचायतों/ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए चौदहवें और पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान का आवंटन और जारी करना

(राशि करोड़ रुपये में)

		चौदहवाँ वित्त आयोग		**पन्द्रहवाँ वित्त आयोग**									
क्र. सं.	राज्य	**2019-20**		**2020-21**		**2021-22**		**2022-23**		**2023-24**		**2024-25**	
		आवंटन	जारी	आवंटन	जारी	आवंटन	जारी	आवंटन	जारी	आवंटन	जारी	आवंटन	जारी
1	आंध्र प्रदेश	2622.13	2336.56	2625.00	2625.00	1939.00	1917.85	2010.00	1976.75	2031.00	1997.45	2152.00	988.77
2	अरुणाचल प्रदेश	248.44	221.38	231.00	231.00	170.00	119.00	177.00		179.00		189.00	
3	असम	1641.19	1462.45	1604.00	1604.00	1186.00	1186.00	1228.00	1228.00	1241.00	1241.00	1315.00	
4	बिहार	6368.25	5674.70	5018.00	5018.00	3709.00	3709.00	3842.00	3842.00	3884.00	3855.33	4114.00	1942.17
5	छत्तीसगढ	1588.94	1415.89	1454.00	1454.00	1075.00	1075.00	1114.00	1114.00	1125.00	1125.00	1192.00	575.42
6	गोवा	40.53	36.12	75.00	75.00	55.00	55.00	57.00	33.92	58.00		62.00	
7	गुजरात	2616.26	2331.33	3195.00	3195.00	2362.00	2362.00	2446.00	2446.00	2473.00	2473.00	2619.00	
8	हरियाणा	1176.68	1048.53	1264.00	1264.00	935.00	935.00	968.00	967.30	979.00	953.59	1036.00	487.13
9	हिमाचल प्रदेश	548.36	488.64	429.00	429.00	317.00	317.00	329.00	329.00	332.00	318.04	352.00	229.19
10	जम्मू एवं कश्मीर#	1049.49	0.00	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
11	झारखंड	1832.12	1632.59	1689.00	1689.00	1249.00	1249.00	1293.00	1293.00	1307.00	1307.00	1385.00	
12	कर्नाटक	2814.39	2504.13	3217.00	3217.00	2377.00	2375.50	2463.00	2093.55	2490.00	2086.59	2637.00	448.29
13	केरल	1217.30	1084.73	1628.00	1628.00	1203.00	1203.00	1246.00	1246.00	1260.00	1260.00	1334.00	1334.00
14	मध्य प्रदेश	4107.48	3660.14	3984.00	3984.00	2944.00	2944.00	3050.00	3050.00	3083.00	2819.24	3265.00	
15	महाराष्ट्र	4555.70	4059.55	5827.00	5827.00	4307.00	4267.16	4461.00	3696.71	4510.00	3629.21	4776.00	1619.42

16	मणिपुर	62.43	55.63	177.00	177.00	131.00	65.50	135.00		137.00		145.00	
17	मेघालय*	N.A.	N.A.	182.00	182.00	135.00	67.50	140.00		141.00		149.00	
18	मिजोरम*	N.A.	N.A.	93.00	93.00	69.00	69.00	71.00	71.00	72.00		76.00	
19	नागालैंड*	N.A.	N.A.	125.00	125.00	92.00	92.00	96.00		97.00		102.00	
20	ओडिशा	2681.59	2389.54	2258.00	2258.00	1669.00	1669.00	1728.00	1728.00	1747.00	1746.91	1851.00	776.48
21	पंजाब	1239.58	1104.58	1388.00	1388.00	1026.00	1026.00	1062.00	1062.00	1074.00	1058.35	1138.00	
22	राजस्थान	4130.90	3681.01	3862.00	3862.00	2854.00	2854.00	2957.00	2955.34	2989.00	2847.96	3166.00	1267.79
23	सिक्किम	44.99	40.09	42.00	42.00	31.00	31.00	33.00	33.00	33.00	33.00	35.00	16.69
24	तमिलनाडु	2659.50	1821.11	3607.00	3607.00	2666.00	2666.00	2761.00	2761.00	2791.00	2791.00	2957.00	1478.50
25	तेलंगाना	1628.68	1451.30	1847.00	1847.00	1365.00	1365.00	1415.00	1415.00	1430.00	1424.18	1514.00	
26	त्रिपुरा	101.71	90.63	191.00	191.00	141.00	141.00	147.00	147.00	148.00	148.00	157.00	78.50
27	उत्तर प्रदेश	10840.04	9659.47	9752.00	9752.00	7208.00	7208.00	7466.00	7466.00	7547.00	7547.00	7994.00	3997.00
28	उत्तराखंड	570.44	508.31	574.00	574.00	425.00	418.70	440.00	439.21	445.00	444.13	471.00	
29	पश्चिम बंगाल	4300.01	3703.25	4412.00	4412.00	3261.00	3261.00	3378.00	3378.00	3415.00	3415.00	3617.00	1805.16
	कुल	**60687.13**	**52461.66**	**60750.00**	**60750.00**	**44901.00**	**44648.22**	**46513.00**	**44771.77**	**47018.00**	**44520.96**	**49800.00**	**17044.52**

*चौदहवें वित्त आयोग अनुदान गैर भाग-IX राज्यों को प्रदान नहीं किया गया |
#जम्मू और कश्मीर वर्ष 2019 में संघ राज्य क्षेत्र बन गया, वित्त वर्ष 2019-20 से संघ राज्य क्षेत्र को केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान प्रदान नहीं किया जा रहा है|

*****